FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

• अजमाल सिंह पुत्र श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत उम्र 70 साल निवासी ग्राम धोलपुरिया तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य

–प्रार्थी

बनाम

• अर्जूनसिंह पुत्र जीवणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धोलपुरिया तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 आरटीए

ऑनलाइन नंबर 2025 / 51

वकील प्रार्थी :– श्री योगेश शर्मा **वकील अपार्थीगण** 2025/115

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.8.25	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा धारा 111,128 आरटीए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 8/10/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	
8/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के तामील शुदा प्राप्त। प्रति. 5 उप० शेष अनु०। वास्ते जवाब प्रति. सं. 5 तथा 1-4,6 जवाब हेतु दिनांक 15/10/25 को पेश हो।	आपत्ति नहीं है [illegible] प्रति.वा.के 5
15/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वास्ते तैयारी जवाब 1-4,6 हेतु दिनांक 29/10/25 को पेश हो। [signature]	
29/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। जवाब हेतु [illegible] पत्रावली 1/12/25 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	TDR रिपोर्ट प्राप्त

12/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील याचीगण उपस्थित।
प्रतिवादीगण को बार-2 पुकारने के अवसर देने पर
भी जवाब पेश नहीं किया। अतः प्रतिवादीगण
का जवाब बंद किया गया। वकील याची की बहस
सुनी गई। ~~अवलोकन~~ पत्रावली का अवलोकन किया गया।
वकील याची का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
पत्रावली में निर्णय पृथक से तैयार किया जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा
होकर अभिलेखागार जमा हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2025

1. अजमाल सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, जाति राजपूत, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम धौलपुरिया तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

2. गोपाल सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, जाति राजपूत, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

3. दलपतसिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, जाति राजपूत, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

– प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्जुनसिंह पुत्र श्री जीवणसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान
2. दुर्गासिंह पुत्र श्री जीवणसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. मंगलसिंह पुत्र श्री जीवणसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान
4. लादूसिंह पुत्र फूलासिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. फतेहसिंह पुत्र श्री सज्जनसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री योगेश शर्मा .द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 12.8.2025 को माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज रजिस्टर क्रमांक 51/2025 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। दिनांक 8.10.25 को तामिलीशुदा सम्मन प्राप्त हुए । प्रतिवादी 5 उपस्थित होकर अनापत्ति पेश की । दिनांक 12.11.2025 को बार बार अवसर देने पर जवाब पेश नही करने पर प्रतिवादी 1 से 4 व 6 का जवाब बन्द किया गया । प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके ग्राम धौलपुरिया पटवार हल्का कालानाडा, भू.अ.नि.क्षेत्र भोगादीत तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान में निम्न विवरण की स्थित है:–

खाता संख्या		खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर	किस्म
नया	पुराना			
2	2	312	0.1214	बारानी ए
कुल खसरा		01	0.1214 हैक्टेयर	

उपरोक्त कृषि आराजी में प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा उक्त कृषि भूमि में राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा निहित होकर सह खातेदार, काबिज, काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित

खातेदारी कृषि भूमि पर बदस्तूर सहखातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहें है, तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है।

प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि जो निम्नानुसार स्थित है :–

कृषि भूमि खसरा संख्या 312 क्षेत्रफल 0.1214 हैक्टेयर :–अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ग्राम धौलपुरिया स्थित खसरा संख्या 311 क्षेत्रफल 0.3560 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, है, उक्त भूमि खसरा संख्या 311 प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 312 के उत्तर दिशा में स्थित है। तथा अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम धौलपुरिया स्थित खसरा संख्या 309 क्षेत्रफल 0.2832 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, है, उक्त भूमि खसरा संख्या 309 प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 312 के पश्चिम दिशा में स्थित है।तथा अप्रार्थी संख्या 5 ग्राम धौलपुरिया स्थित खसरा संख्या 313 क्षेत्रफल 0.1537 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, है, उक्त भूमि खसरा संख्या 313 प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 312 के पूर्व दिशा में स्थित है।तथा प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 312 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 308 क्षेत्रफल 0.4773 हैक्टेयर भूमि है जो गै.मु. रास्ता होकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य उपरोक्त भूमियों का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करते रहते है, जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य लडाई झगडा होता रहता है।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते है।

उपरोक्त खसरान् के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 6 के कार्यालय में सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी महोदय, कालानाडा द्वारा दिनांक 01.07.2025 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा बनाया गया। जिसके पश्चात् भी उक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को लेकर दिनांक 15.07.2025 को विवाद किया गया।वाद कारण दिनांक 15.07.2025 को अप्रार्थीगण द्वारा सीमाओं के विवाद को लेकर प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच करने से उत्पन्न हुआ है तथा प्रार्थीगण के कृषि कार्य में अप्रार्थीगण द्वारा बाधा कारित करने तथा प्रार्थीगण के साथ सीमाओं को लेकर वाद विवाद करते रहने से वाद कारण सतत जारी है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की वाके ग्राम धौलपुरिया पटवार हल्का कालानाडा, भू.अ.नि.क्षेत्र भोगादीत तहसील अराई, जिला अजमेर स्थित कृषि खसरा संख्या 312 क्षेत्रफल 0.1214 हैक्टेयर की सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर, पत्थरगढी करवाकर कराने का प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम धौलपुरिया पटवार हल्का कालानाडा, भू.अ.नि.क्षेत्र भोगादीत तहसील अरांई, जिला अजमेर स्थित कृषि खसरा संख्या 312 क्षेत्रफल 0.1214 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12/11/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)